नम्बर व ता...
अहकाम जो...
हुक्म की ता...
में जारी...

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी—श्री देवी सिंह (R.A.S)

दावा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
1/566	02.11.2020	05.07.2024

<u>उनवान</u>

1. रहमूखां उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र श्री मामला पौत्र श्री दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान
2. रज्जूखां उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र श्री दुल्ला पौत्र श्री दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान

—— वादीगण

बनाम

1. नसीबन उम्र करीब 65 वर्ष पत्नि श्री जैनखां पुत्र वधु श्री सूसला उर्फ सुस्ला पौत्र वधु दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0
2. आमीना उम्र करीब 35 वर्ष पत्नि श्री जाकिरखां पुत्र वधु श्री जैनखां पौत्र वधु सूसला उर्फ सुस्ला पड पौत्र वधु दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0
3. जोसफ उम्र करीब 17 वर्ष नाबालिग पुत्र श्री जाकिरखां पौत्र श्री जैनखां पडपौत्र ससूला उर्फ सुस्ला सड पौत्र दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तह0 मालाखेडा जिला अलवर राज0 जरिये सरपरस्त माता आमीना,
4. दिलशान उम्र करीब 15 वर्ष नाबालिग पुत्र श्री जाकिरखां पौत्र श्री जैनखां पडपौत्र सूसला उर्फ सुस्ला सड पौत्र दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तह0 मालाखेडा जिला अलवर राज0
5. नासिरखां उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र श्री जैनखां पौत्र सूसला उर्फ सुस्ला पड पौत्र दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर
6. बस्सन उम्र करीब 60 वर्ष पत्नि श्री हुसैनखां पुत्र वधु सूसला उर्फ सुस्ला पौत्र वधु दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तह0 मालाखेडा जिला अलवर राज0
7. आसूखां उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र श्री हुसैनखां पौत्र सूसला उर्फ सुस्ला पड पौत्र दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तह0 मालाखेडा जिला अलवर
8. रहीशखां उर्फ गुर्री उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र श्री हुसैनखां पौत्र सूसला उर्फ सुस्ला पड पौत्र दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0
9. महबूबखां उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र श्री हुसैनखां पौत्र सूसला उर्फ सुस्ला पड पौत्र दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तह0 मालाखेडा जिला अलवर राज0
10. महताबखां उम्र करीब 58 वर्ष पुत्र श्री सूसला उर्फ सुस्ला पौत्र दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान

— असल प्रतिवादीगण

उपखण्ड़ अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

11. मु.मटरी उम्र करीब 80 वर्ष पत्नि श्री मामला पुत्र वधु श्री दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान,
12. सितावखां उम्र करीब 65 वर्ष पुत्र श्री मामला पौत्र श्री दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान,
13. दीनूखां उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र श्री मामला पौत्र श्री दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान,
14. गफूरखां उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र श्री मामला पौत्र श्री दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान,
15. मानखां उम्र करीब 65 वर्ष पुत्र श्री दुल्ला पौत्र श्री दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान,
16. सनूखां उम्र करीब 70 वर्ष पुत्र श्री दुल्ला पौत्र श्री दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान,
17. सुब्बाखां उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र श्री दुल्ला पौत्र श्री दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान,
18. जुम्माखां उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र श्री दुल्ला पौत्र श्री दानसिंह जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान

——तरतीबी प्रतिवादीगण

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान

——भूमिधारी तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188,
राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वकील वादी ने वाद पेश किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी गत खसरा नम्बर 380, 381 जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2020 में हाल खसरा नम्बर 383 जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2051 में आराजी हाल खसरा नम्बर 789 रकबा 0.46 हैक्टर, 790 रकबा 0.21 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.67 हैक्टर सालिम एव आराजी गत खसरा नम्बर 180, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 201 जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2020 में हाल खसरा नम्बर 201, 210, 211, 212 जिनके बन्दोबस्त सम्वत 2051 में आराजी हाल खसरा नम्बर 422 रकबा 0. 05 हैक्टर, 423 रकबा 0.07 हैक्टर, 431 रकबा 0.10 हैक्टर, 432 रकबा 0.10 हैक्टर, 433 रकबा 0.12 हैक्टर, 434 रकबा 0.02 हैक्टर, 448 रकबा 0.41 हैक्टर, 449 रकबा 0.32 हैक्टर, 450 रकबा 0.30 हैक्टर, 451/3455 रकबा 0.02 हैक्टर, 457 रकबा 0.35 हैक्टर, 458 रकबा 0. 36 हैक्टर, 459 रकबा 0.38 हैक्टर, 460 रकबा 0. 11 हैक्टर कुल किता 14 कुल रकबा 2.71 हैक्टर का 5/18 हिस्सा वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा जिला अलवर विवादित आराजी है। उक्त विवादित आराजी का अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण एंव असल प्रतिवादीगण का पूर्वज दानसिंह पुत्र श्री कल्लू जाति मेव निवासी ग्राम भडोली तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान था, जिसका स्वर्गवास हो चुका है। उक्त दानसिंह के तीन पुत्र सूसला उर्फ सुस्ला, दुल्ला, मामला पैदा हुये, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। सूसला उर्फ सुस्ला के तीन लडके जैनखां, हुसैनखां, महताबखां हुये,

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

जिनमें जैनखां व हुसैनखां का स्वर्गवास हो चुका हैं, तथा जैनखां के पुत्र जाकिरखां का स्वर्गवास हो चुका हैं, महताबखां जीवित है। वादीगण व असल प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण इनके वारिसान है। उक्तानुसार दानसिंह मृतक की विरासत में मिन वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 14 का पूर्वज मामला का 1/3 हिस्सा तथा मिन वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 18 का पूर्वज दुल्ला का 1/3 हिस्सा तथा असल प्रतिवादीगण के पूर्वज सूसला उर्फ सुस्ला का 1/3 हिस्सा हैं, तथा उनके स्वर्गवास उपरान्त विवादित आराजी पर हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादीगण उक्त हिस्सानुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं, तथा हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजी पर मृतक दानसिंह अपने जीवनकाल तक काबिज रहकर काश्त एंव हर प्रकार से भोग करता रहा, तथा उसके स्वर्गवास उपरान्त हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादीगण के पूर्वज सूसला उर्फ सुस्ला, दुल्ला, मामला अपने जीवनकाल तक काबिज रहकर काश्त एंव हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते रहे, तथा उनके स्वर्गवास उपरान्त हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण एंव असल प्रतिवादीगण उपरोक्त हिस्सानुसार वर्तमान में काबिज चले आ रहे है। लेकिन दानसिंह का स्वर्गवास होने के उपरान्त असल प्रतिवादीगण के पूर्वज सूसला उर्फ सुस्ला ने कर्ताखानदान होने के कारण तथा हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वजो मामला व दुल्ला का हक व हिस्सा समाप्त करने की नियत से कर्मचारियान राजस्व/बन्दोबस्त से साजबाज होकर अपने अकेले के नाम का इन्द्राज करा लिया। जिस राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात से हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को काफी नुकसान होता है, तथा हमारे हक व अधिकारो पर विपरीत असर पडता है। उक्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी का अंकन हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के अधिकारो के खिलाफ बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी हैं, तथा बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिये जाने योग्य है। हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में किये गये असल प्रतिवादीगण के पूर्वज सूसला उर्फ सुस्ला के अंकन की पूर्व में कोई जानकारी नही थी। अब हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने अपने पूर्वज दुल्ला व मामला की विरासत से प्राप्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर जानकारी हुई। इसके पश्चात दिनांक 30—10—2020 को हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने असल प्रतिवादीगण से विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने के लिए कहा, तो असल प्रतिवादीगण ने साफ इंकार कर दिया। उपरोक्त वर्णित सूरत में मिन वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 14 अपने आपको 1/3 हिस्सा तथा मिन वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 लगायत 18 अपने आपको 1/3 हिस्सा तथा असल प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्सा का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित कराकर राजस्व रिकार्ड का अंकन दुरूस्त कराकर सूसला उर्फ सुस्ला का नाम कलमंजन कराकर हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण व अराल प्रतिवादीगण के नाम उक्तानुसार खातेदारी का अंकन कराने के अधिकारी है। तथा राजस्व रिकार्ड के अंकन सूराला उर्फ सुरला को अपने अधिकारो के खिलाफ बातिल व बेअसर व नाकाविल पाबन्दी करार दिलाने के अधिकारी है। अगर असल प्रतिवादीगण ने बेईमानी व बदनियती से हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उक्त विवादित आराजी में हमारे उक्त हिस्से से जबरन बेदखल कर अपना कब्जा कर लिया, और हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को कुल कार्य काश्त नहीं करने दिया, अथवा उसमें किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कर दिया, तो हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के जायज कानूनी हक हकूक जायल होकर खतरे में पड जावेंगे, तथा बेजा मुकदमाबाजी व झगडाबाजी बढेगी, तथा हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को ऐसा भारी नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा, कि जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार नही हो सकेगी, कि जिस कारण से

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

असल प्रतिवादीगण को जयें स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है, कि असल प्रतिवादीगण हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में हमारे उक्त हिस्से से किसी कदर जबरन बेदखल कर अपना जबरन कब्जा ना करे, तथा हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके कब्जे व कुल कार्य काश्तकारी फसल बोने, जोतने, काटने, समेटने, ले जाने आदि में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे। उक्त विवादित आराजी में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण ना करे। तहसीलदार साहब मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान को भूमिधारी होने के कारण तकमीली प्रतिवादी के तोर पर पक्षकार बनाया गया है, जो राजस्व वाद में कानूनन हितबद्व आवश्यक पक्षकार है, तथा चूंकि तहसीलदार साहब के खिलाफ कोई रिलीफ नही चाही गई है। इसलिए दावा दायरी से पूर्व कानूनन उनको नोटिस दफा 80 जा.दी. मियादी 2 माह दिया जाना आवश्यक नही है। अतः प्रार्थना है, कि वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ असल प्रतिवादीगण निम्न प्रकार निर्णित व डिक्री फरमाया जावेः–

डिक्री इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादीगण पारित की जाकर विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी हाल सम्वत 2071–2075 खाता संख्या नया 799 पुराना 754 में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 789 रकबा 0.46 हैक्टर, 790 रकबा 0.21 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.67 हैक्टर सालिम एंव मुताबिक जमाबंदी हाल सम्वत 2071–2075 खाता संख्या नया 228 पुराना 225 में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 422 रकबा 0.05 हैक्टर, 423 रकबा 0.07 हैक्टर, 431 रकबा 0.10 हैक्टर, 432 रकबा 0.10 हैक्टर, 433 रकबा 0.12 हैक्टर, 434 रकबा 0.02 हैक्टर, 448 रकबा 0.41 हैक्टर, 449 रकबा 0. 32 हैक्टर, 450 रकबा 0.30 हैक्टर, 451/3455 रकबा 0. 02 हैक्टर, 457 रकबा 0.35 हैक्टर, 458 रकबा 0.36 हैक्टर, 459 रकबा 0.38 हैक्टर, 460 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 14 कुल रकबा 2.71 हैक्टर का 5/18 हिस्सा वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान में स्थित है, में 1/3 हिस्सा का वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 14 को व 1/3 हिस्सा का वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 18 को तथा 1/3 हिस्सा का असल प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड का अंकन दुरूस्त कराकर सूसला उर्फ सुस्ला मृतक के नाम का अंकन कलमजन कराकर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादीगण के नाम का अंकन बहैसियत खातेदार उनके उक्त हिस्सानुसार दर्ज कराया जावे। यह भी करार दिया जावे, कि उक्त विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड का अंकन सूसला उर्फ सुस्ला वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के अधिकारो के खिलाफ बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी हैं। डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाकर असल प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे, कि वो विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी हाल सम्वत 2071–2075 खाता संख्या नया 799 पुराना 754 में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 789 रकबा 0.46 हैक्टर, 790 रकबा 0.21 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.67 हैक्टर सालिम एव मुताबिक जमाबंदी हाल सम्वत 2071–2075 खाता संख्या नया 228 पुराना 225 में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 422 रकबा 0.05 हैक्टर, 423 रकबा 0.07 हैक्टर, 431 रकबा 0.10 हैक्टर, 432 रकबा 0.10 हैक्टर, 433 रकबा 0. 12 हैक्टर, 434 रकबा 0.02 हैक्टर, 448 रकबा 0.41 हैक्टर, 449 रकबा 0.32 हैक्टर, 450 रकबा 0.30 हैक्टर, 451/3455 रकबा 0.02 हैक्टर, 457 रकबा 0.35 हैक्टर, 458 रकबा 0.36 हैक्टर, 459 रकबा 0.38 हैक्टर, 460 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 14 कुल रकबा 2.71 हैक्टर का 5/18 हिस्सा वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान में स्थित है, में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके उक्त हिस्से से किसी कदर जबरन बेदखल कर अपना जबरन कब्जा ना करे, तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके कब्जे व कुल कार्य

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

काश्तकारी फसल बोने, जोतने, काटने, समेटने, ले जाने आदि में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे। उक्त विवादित आराजी में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण ना करे, राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। अन्य आज्ञा वो अनुतोष जो उचित व न्यायसंगत हो बहक वादीगण खिलाफ असल प्रतिवादीगण पारित वो प्रदान करने की कृपा करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जर्ये सम्मन तलब किये गयें प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 की ओर से श्री मनोज जैन एवं तरतीबी प्रतिवादी 11 लगायत 18 की ओर से श्री सतीश जैन अधिवक्ता ने वकालत नामा पेश किया। असल प्रतिवादीगण ने जर्ये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश कर वाद वादी चाहे गये अनुतोष के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का कथन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील वादी ने अपनी बहस मे कथन किया कि मैने जमाबन्दी पेश की है। सम्वत 2071–75 जिसमें विवादित आराजी खसरा नम्बर 422, 423, 431, 432, 433, 434, 448, 449, 450, 451/3455, 454, 458, 459, 460 कुल किता–14 कुल रकबा 2.71 है। बिन्दू संख्या 1 इसमे 37 नम्बर पर सूसला पुत्र दानसिंह हिस्सा 5/18 खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 789, 790 किता 2 रकबा 0.67 जमाबन्दी सम्वत 2071–75 इसमे सूसला पुत्र दानसिंह सम्पूर्ण हिस्सा खातेदार है। मैने दावे के साथ एक सजरा पेश किया है। जिसमें दानसिंह के 03 पुत्र सूसला उर्फ सुसला, दुल्ला, मामला जबकि उक्त जमीन के एक मात्र पुत्र सूसला के नाम चढ गई है। सूसला मर गया है। जिसकी 03 लडके है। जैन खां, हुसेन खां, महताब खां इसमें जैन खां भी मर गया है। इसके नसीबन, जाकिर, खां तीन लडके है। इसमें जाकिर खां भी मर गया है। जिसके 03 वारीसान जो हुसैन दिलसान, आमीन खां है। हुसेन खां भी मर गया है। जिसके वारीसान बदस्तूर आसू खां, रहीस खां उर्फ जम्मी ओर महबूब खां असली प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 है। दुल्ला भी मर गया है। इसके वारीसान भूरिया, मान खां, सन्नू खां, जुम्मा खां सूबा खां, रज्जू खां है। ये वादी संख्या 2 ओर तरतीबी प्रतिवादी संखया 15 लगायत 18 है। इसके बाद मामला खां भी मर गया है। इसके मटकी, सितम खां, दीना खां, रहमू खां गफूर खां वसीम है। रहमू खां वादी नम्बर–1 है ओर शेष 11 लगायत 14 तक प्रतिवादी है। जो दावा लेकर आये है उनका हिस्सा 11 लगायत 14 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 ओर तरतीबी प्रतिवादी 15 लगायत 18 को 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 ओर तरतीबी प्रतिवादी 15 लगायत 18 का 1/3 हिस्सा तथा असल प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा में इसी प्रकार मौके पर काबिज है। राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। इसलिये हम दावा लेकर आये है। मैने मिसल हकीयत पेश की है। सम्वत 2051 से 2070 तक इसमें क्रम संख्या 160 को देखा जावें। जिसमें सूसला का हिस्सा 1/3 422 का पुराना नम्बर 212 है। 423 का 212 है। 431 का 201मि., 432 का 201 मि., 433 का 201 मि., 434 का 201मि., 448 का 210मि., 449 का 210 मि., 450 का 210मि., 470 का 211 मि., 458 का 211, 212 मि., 449 का 212 मि., 460 का 212 मि., 451/3455 का 210 मि., 789 का 383 मि. 790 का 383 मि., के क्रम संख्या 535 पर व सम्वत 2020 की मिसल हकीयत पेश की है। इसमें 201, 210, 211, 212, नम्बर बने ये पुराने नम्बर है। क्रम संख्या 290 पर अंकित

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

पुत्र का 1/3 सूसला व दानसिंह 1/3 हिस्सा, चन्दर व मगन हिस्सा 1/3 दर्ज है।क्रम संख्या 337 पर पुराने खसरा नम्बर 383 है। जिस पर सूसल पुत्र दानसिंह दर्ज है। सम्वत 2013 की खसरा सटिलमेन्ट पेश किया है। जिसमें नये व पुराने नम्बर 201 के बने है। खसरा नम्बर 195, 196, 196 मि., 210 के बने है। 193 मि. 201 मि. 211 के बने है। 189, 190 191 मि. 212 के बने है। 180, 187, 188 मि. 383 के बने है। 380 मि. 381 मि. खसरा संटिलमेन्ट संवत 2013 में नये एवं पुराने दोना नम्बर है। एक खातेदार का नाम है। जो खसरा नम्बर 201, 195,196,197 से बना है। जिसके खातेदार अर्जुन पुत्र भूमिया, सूसला वल्द दानसिंह हिस्सा 1/3 चन्दर का 1/3 हि0 इसमे 210, 211, 212 इसी प्रकार खसरा नम्बर 383 है। जिसमें अकेले सुसला का ही नाम है। मैने जमाबन्दी संवत 978 की पेश की है। जिसमें खतौनी नम्बर 116 इन्तकाल नामान्तकरण 404 खातेदार महासिंह, ानसिंह वल्द कल्लू, अजीत, मोहर, चाहत के नाम खसरा नम्बर 188,190,193,194,195,195,197,198, र नाम है। खाता संख्या 82 इसमें पुराना खसरा नम्बर 380 मिल रहा है। इसके सहकाश्तकार र्जुन पुत्र भौरा के नाम है। हमारा पूर्वज दानसिंह जिसके वारीसान के नाम भूमि आनी थी। लेकिन केले सूसला के नाम चढ गया है। मौके पर कोई विवाद नही है। सभी अपने-अपने हिस्से पर ाबिज है। रिकार्ड में गलत इन्द्राज चल रहा है। सूसला की मृत्यु हुये 30-40 वर्ष हो गये है। किन जमाबन्दी में अभी उसी का नाम चला आ रहा है।

कील प्रतिवादी ने अपनी बहस मे कथन किया कि मैने असल प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 10 की ओर इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया है। वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के आधार पर दावा डिक्री ये जाने का कथन किया है।

ने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की बहस पर मनन कियां वकील वादी वाद मे र्णित विवादित आराजी मे सूसला उर्फ सुस्ला मृतक के नाम का अंकन कलमजन कराकर वादीगण तरतीबी प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादीगण के नाम का अंकन बतौर खातेदार हिस्से अनुसार दर्ज राना चाहता है। असल प्रतिवादीगण को उक्त तथ्य पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। एवं दी के पक्ष मे इकबाल जवाब प्रस्तुत किया है। अतः उभय पक्ष की सहमति पर वाद डिक्री किया ा उचित प्रतीत होता है।

वाद वादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण व तरतीबी ादीगण विरूद्व असल प्रतिवादीगण पारित की जाकर विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी हाल त 2071-2075 खाता संख्या नया 799 पुराना 754 में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 789 0.46 हैक्टर, 790 रकबा 0.21 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.67 हैक्टर सालिम एंव बेक जमाबंदी हाल सम्वत 2071-2075 खाता संख्या नया 228 पुराना 225 में वर्णित आराजी हाल नम्बर 422 रकबा 0.05 हैक्टर, 423 रकबा 0.07 हैक्टर, 431 रकबा 0.10 हैक्टर, 432 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

10 हैक्टर, 433 रकबा 0.12 हैक्टर, 434 रकबा 0.02 हैक्टर, 448 रकबा 0.41 हैक्टर, 449 रकबा 0.32 हैक्टर, 450 रकबा 0.30 हैक्टर, 451/3455 रकबा 0. 02 हैक्टर, 457 रकबा 0.35 हैक्टर, 458 रकबा 0.36 हैक्टर, 459 रकबा 0.38 हैक्टर, 460 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 14 कुल रकबा 2.71 हैक्टर का 5/18 हिस्सा वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा में 1/3 हिस्सा का वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 14 को व 1/3 हिस्सा का वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 15 लगायत 18 को तथा 1/3 हिस्सा का असल प्रतिवादीगण 01 लगायत 10 को हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा हाल राजस्व रिकार्ड मे सूसला उर्फ सुस्ला मृतक के नाम का अंकन कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

देवी सिंह
(R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आंज दिनांक 05.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

देवी सिंह
(R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)